राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–1/1/12/वि/स्था/11523 दिनांकः– 16.10.2025

:: आदेश ::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(2) प्र.सु/अनु–3/2025–08916 दिनांक 19.09.2025 के द्वारा आवंटित किये जाने पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर वित्त (नियम डिवीजन) विभाग जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार पे–मेट्रिक्स लेवल–05 के नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/– प्रतिमाह की दर से अधोलिखित शर्तों पर नियुक्त किया जाकर पदस्थापन राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में एतद्द्वारा किया जाता है :–

SL NO	RANK	ROLL NO	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT	SEL. CAT	HOME DISTT
1	296	430707	PRAVEEN KUMAR	PRAKASH CHANDRA CHOUDHARY	05-04-02	MALE	GEN	GEN A	JALORE
2	457	417432	RAKESH GODARA	BHAGWANA RAM	11-07-01	MALE	OBC	GEN A	CHURU
3	553	405318	ARSHAD KHAN	MOHAMMAD IRSHAD KHAN	30-11-97	MALE	GEN	GEN A	AJMER
4	556	400750	MAHAVEER JAT	RAMDAYAL JAT	05-07-03	MALE	OBC	GEN A	AJMER
5	568	407146	SANJAY CHOUDHARY	JAGDISH CHOUDHARY	10-09-99	MALE	OBC	GEN A	DIDWANA KUCHAMAN
6	570	406659	NARENDRA KIRDOLIYA	JAWANA RAM	02-10-97	MALE	OBC	GEN A	DIDWANA KUCHAMAN
7	583	404564	LAXMI NARAYAN KUMAWAT	RAM CHANDRA KUMAWAT	18-11-02	MALE	OBC	GEN A	DIDWANA KUCHAMAN
8	606	406390	PREM BANA	CHHAGANA RAM	02-07-02	MALE	OBC	GEN A	NAGAUR
9	612	446491	BHAGWAN SHAY JYANI	RAMCHANDRA JYANI	17-12-01	MALE	OBC	GEN A	JAIPUR
10	633	404764	BHARAT SONI	SOBHAG MAL VERMA	02-09-91	MALE	OBC	GEN A	AJMER
11	1386	401944	SHIVRAJ KUMAWAT	RAMGOPAL KUMAWAT	07-03-00	MALE	OBC	OBC A	AJMER
12	1416	404092	NORTA RAM	BIRMA RAM	01-03-00	MALE	OBC	OBC A	DIDWANA KUCHAMAN
13	1434	406119	BALVEER CHHRANG	NARSINGH RAM	01-12-01	MALE	OBC	OBC A	NAGAUR
14	1517	430073	VIJAYA SINGH SHEKHAWAT	DHARMVEER SINGH	12-03-97	MALE	EWS	EWS A	JAIPUR
15	1591	400709	LOKENDRA SINGH RATHORE	BAHADUR SINGH RATHORE	01-01-03	MALE	EWS	EWS A	NAGAUR
16	1967	401321	POOJA KHOJA	RAJENDRA KHOJA	01-03-01	FEMALE	OBC	GEN A	AJMER
17	1983	403185	OM KHILERI	GIRDHARI RAM KHILERI	02-08-03	FEMALE	OBC	GEN A	NAGAUR
18	2136	440888	KAVITA	RAMPHAL	21-11-03	FEMALE	OBC	GEN A	KOTPUTLI BEHROR
19	2754	443522	MANGLI DHIVER	MANGI LAL DHIVER	16-10-95	FEMALE	OBC	OBC A	ALWAR

RajKaj Ref No.: 18381193
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by M...aveer Prasad
Designation: Registrar
Date: 2025.1...:44:02 IST
Reason: Appro...

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश नियत अवधि तक उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी/एससी/ओबीसी/एमबीसी/जा.प्र.प/सामान्यअवि/2015–54159 दिनांक 09.09.2105 पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प. 11(204) आएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011168999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा निर्देशों /सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम डिवीजन) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना कमांक एफ. 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 व नोटिफिकेशन कमांक एफ. 15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के तहत जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 16 व परिशिष्ठ iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. परिवीक्षा काल मे इन्हें नियमानुसार कोई वार्षिक वेतन वृद्वि देय नहीं होगी।
5. सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण से पूर्व नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
6. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
7. दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
8. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
9. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता आवंटित सूची में अंकित वरीयता कम में ही रहेगी।
10. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नही पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवामुक्त किया जा सकेगा।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण करते समय, पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा अन्यथा कार्यग्रहण करवाया जाना संभव नहीं होगा।
12. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार उनकी सेवायें समाप्त कर सकेगी।
13. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अध्ययधीन रहेगी।
14. राज्य में अवस्थित बोर्डो/विश्वविद्यालय/संस्थापन द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत/उल्लेखित शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की संबधित बोर्डो/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने/सही संदर्भित होने के कम में उक्त नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्ययधीन रहेगी।
15. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र कमांक प. 1(5) डीओपी/ए–2/17 दिनांक 15.05.18 की अनुपालना में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत एटैस्टेशन फार्म एवं स्व–घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
16. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
17. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।

Signature valid

Digitally signed by M... aveer Prasad
Designation: Regi...r
Date: 2025.1...6 ...:44:02 IST
Reason: Appro...

18. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
19. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कैलण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कैलण्डर वर्ष के मध्य मे होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
20. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

(महावीर प्रसाद)

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांक : सम/11524-11574 दिनांक : 16.10.2025

प्रतिलिपिः– निम्नांलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग 3) विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(2) प्र. सु/अनु–3/2025–08916 दिनांक 19.09.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. निजी सहायक, निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अजमेर।
7. प्रभारी अधिकारी (समस्त) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
9. संबंधित कार्मिक ....।
10. आदेश पंजिका/ निजी पत्रावली।

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

RajKaj Ref No.:
18381193
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mahaveer Prasad
Designation: Registrar
Date: 2025.10.16 ...:44:02 IST
Reason: Approved